8/4/25	अधिवक्ता श्री अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहे तो अधि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका पत्र अन्तर्गत आदेश 17 नियम 3 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज की जाती है। पक्षकारों के खर्चे स्वयं वहन करेंगे। दोनों पक्ष दाखिल दफ्तर रहे। उप० न्यायाधीश